प्रेस नोट   जनपद संतकबीरनगर   दिनांक 18.12.2024

क्षेत्राधिकारी मेंहदावल/रिजर्व पुलिस लाइन द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में साप्ताहिक बुधवार परेड का किया गया निरीक्षण, दिये गए आवश्यक दिशा निर्देश

आज दिनांक 18.12.2024 को क्षेत्राधिकारी मेंहदावल/रिजर्व पुलिस लाइन लाइनसंतकबीरनगर ***श्री केशवनाथ*** द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउण्ड मे साप्ताहिक बुधवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में सम्मिलित पुलिस कर्मियों के टर्नआउट को चेक करते हुए सभी अधिकारी / कर्मचारीगणों को ड्यूटी के दौरान उच्च कोटि की वर्दी पहनने व जनता से मधुर व्यवहार स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया। निरीक्षण के पश्चात कर्मियों को शारीरिक रुप से फिट रहने हेतु दौड़ लगवाई गई व परेड के दौरान अनुशासन व एकरुपता के लिए टोलीवार ड्रिल कराई गई। पुलिस लाइन की बेहतर साफ-सफाई हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा पुलिस लाइन के आदेश कक्ष में सभी गार्द रजिस्टरों को चेक करते हुए गार्द की सुरक्षा के संबंध मे सभी गार्द कमांडरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 18.12.2024

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 01** वारण्टी नाम पता सौदागर पुत्र सोमई निवासी बरांव थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रवीन्द्र यादव, का0 विरेन्द्र।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1490 द्वारा मारपीट/विवाद में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1490 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत ठकुराडाड़ी से कालर ने मारपीट/विवाद में घायल एक व्यक्ति (1. शिवम कुमार पुत्र किरोधन ग्राम ठकुराडाडी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के मारपीट/विवाद में घायल व्यक्ति के सम्बन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया।

पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मारपीठ विवाद व्यक्ति को ईलाज हेतु सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* मु0आ0 मोहन प्रजापति, आ0 उपेन्द्र कुमार, हो0चा0 राजेश कुमार।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 103 वाहनों से 1,16,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 18.12.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 103 वाहनों से 1,16,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

अपहरण करके ग्राम थोई पुलिस थाना थोई जनपद नीम ले गये जहाँ पर इनकी शादी कर दी, वहाँ से इन्होने अपने पति दिलीप शर्मा से सम्पर्क किया, दिलीप शर्मा द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर सूचना दिया। जिसके उपरान्त थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त महिला को बरामद किया गया तथा राजमती पत्नी शिवलाल निवासी सूरजकुंड गोरखपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गुमशुदा महिला को किया गया बरामद

पुलिस अधीक्षक संतबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा गुमशुदगी सं0 70/2024 दिनांक 01.08.2024 के मामले में कार्यवाही करते हुए गुम महिला उम्र 43 वर्ष थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को ग्राम थोई पुलिस थाना थोई जनपद नीम का थाना राज्य राजस्थान से दिनांक 11.12.2024 बरामद किया गया तथा नियमानुसार दिनांक 14.12.2024 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर लाया गया। आज दिनांक 18.12.2024 को बरामद महिला का एसडीएम के सामने बयान दर्ज कराया जा रहा है, तदोपरान्त प्राप्त तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

पूछताछ विवरणः- उक्त महिला द्वारा बताया गया कि उन्हे 1. राजमती पत्नी शिवलाल निवासी सूरजकुंड गोरखपुर, 2. जितेन्द्र दिनांक 22.07.2024 को जनपद गोरखपुर से ही अपहरण करके ग्राम थोई पुलिस थाना थोई जनपद नीम ले गये जहाँ पर इनकी शादी कर दी, वहाँ से इन्होने अपने पति दिलीप शर्मा से सम्पर्क किया, दिलीप शर्मा द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर सूचना दिया। जिसके उपरान्त थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त महिला को बरामद किया गया तथा राजमती पत्नी शिवलाल निवासी सूरजकुंड गोरखपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामअवध सिंह, हे0का0 अली हसन सिद्दिकी।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा चोरी की 03 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए चोरी के 5900 रुपया के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना प्रभारी धनघटा ***श्री रामकृष्ण मिश्र*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा दिनांक 18.12.2024 को मदरहिया से अशरफपुर जाने वाले मार्ग पर मुखबिर की सूचना पर चोरी के मामले में 01 अभियुक्त नाम पता रोहित राजभर पुत्र प्रितम राजभर ग्राम हकीमपुर थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को चोरी के 5900रु0 के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त अभियुक्त / बरामदगी से मु0अ0सं0 675/2024 धारा 305(ए)/317(2) बी0एन0एस0 व मु0अ0सं0 654/2024 धारा 331(4)/305/317(2) बी0एन0एस0 तथा मु0अ0सं0 701/2024 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बी0एन0एस0 थाना धनघटा जनपद सन्त कबीरनगर का सफल अनावरण हुआ है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

रोहित राजभर पुत्र प्रितम राजभर ग्राम हकीमपुर थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण –

मु0अ0सं0 675/2024 धारा 305(ए) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 2100 रुपया नगद व मु0अ0सं0 654/2024 धारा 331(4),305 बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 2300 रुपया नगद तथा मु0अ0सं0 701/2024 धारा 305(ए),331(4) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 1500 रुपया नगद बरामद हुआ।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया वह छोटी मोटी चोरी करता है। करीब एक महिना पहले उसने मुन्डेरा राय गाँव में सरकारी स्कूल से गेहूँ व चावल चुराया था जो उसने बेच दिया था तथा डेढ माह पूर्व उमरिया बाजार में कपड़े की दुकान में चोरी किया था जिसमें रुपये व डीबीआर मिला था तथा डीबीआर को नदी में फेक दिया था तथा कुछ दिन पहले ही उमरिया बाजार में स्थित किराने की दूकान में चोरी किया था जिसमें रुपये मिले थे। चोरी से कितना कितना रुपया मिला था अभियुक्त को सही-सही याद नहीं है तथा चोरी के रुपयों में से उसने अपनी माँ की ईलाज में कुछ खर्च कर दिया है शेष रुपया बरामद किया गया है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण–

उ0नि0 प्रमोद कुमार नायक, उ0नि0 तुफानी सिंह यादव , हे0का0 राणाप्रताप यादव व का0 अनिल कुमार यादव।

जनपद मुख्य न्यायाधीश, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार संतकबीरनगर का किया गया औचक निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान बैरकों की तलाशी तथा परिसर, कार्यालय, हास्पिटल व मेस आदि की साफ सफाई का लिया गया जायजा

जेल परिसर के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री ना जाने व साफ सफाई आदि के सम्बन्ध में दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

*** जनपद मुख्य न्यायाधीश, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निरीक्षण के दौरान कैदियों को ऊनी वस्त्र (स्वेटर) वितरण किया गया***

आज दिनांक 18.12.2024 को जनपद मुख्य न्यायाधीश ***श्री महेन्द्र प्रसाद चौधरी*** जिलाधिकारी संतकबीरनगर ***श्री महेन्द्र तंवर*** व पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा संयुक्त रुप से जिला कारागार संतकबीरनगर का औचक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान हास्पिटल, बैरक, मेस, जेल परिसर आदि की सघन चेकिंग की गई, तत्पश्चात कैदियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं/सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी ली गई । मौजूद सभी कारागार कर्मियों को सख्त हिदायत दी गई कि जेल के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री ना जाने पाये, समस्त कार्यवाहियों का निर्वहन पूर्ण / सही तरीके से करें । जेल परिसर की साफ-सफाई आदि के सम्बन्ध में कारागार कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये ।

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, पीड़िता/अपहृता बरामद

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री केशव नाथ*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मेहदावल ***श्री रामकृपाल सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 378/24 धारा 137(2), 87 बी0एन0एस0 के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता अमित पुत्र ओमप्रकाश निवासी जगदीशपुर बगलोटे थाना कैम्पियंगज गोरखपुर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादी द्वारा थाना मेहदावल पर उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना मेहदावल पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़िता/अपहृता को बरामद करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री लालमणि यादव,हे0का0 मुरली मनोहर, म0का0 अनुराधा भारती ।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट व गैर इरादतन हत्या करने के प्रयास के संबंध में 06 अभियुक्तगण को 01-01 वर्ष के सदाचरण एवं परिवीक्षा बनाये रखने हेतु नियमानुसार अवमुक्त किया गया व 20000-20000 रु0 के व्यक्तिगत बन्धपत्र पर छोड़ा गया

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं ।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 18.12.2024 को ***मा0 न्यायालय ए0एस0जे0 प्रथम स0क0न0*** द्वारा **थाना बखिरा** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 570/2003 धारा 147,148,149,323,325,307,308,506 भादवि के

मामलें में अभियुक्तगण 01- गणेश पुत्र हरि, 02- राजू पुत्र रामदीहल, 03-गुन्नर पुत्र हंशू, 04- हरिराम पुत्र परदेशी, 05- रामदरश पुत्र मुन्नर, 06- गंगाराम पुत्र जगलाल निवासीगण बेलहरखुर्द थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को 01-01 वर्ष की अवधि के लिए सदाचार कायम रखने हेतु निम्न शर्तो पर छोड़ा जाता है। प्रत्येक अभियुक्तगण को 20000-20000 रु0 का निजी बन्धपत्र समान धनराशि के दो प्रतिभू जिला परिवीक्षा अधिकारी संतकबीरनगर के समक्ष निर्णय की तिथि से 15 दिन के अन्दर निष्पादित करें। बन्धपत्र निष्पादित न करने अथवा बन्धपत्र निष्पादित किये जाने के 01 वर्ष के अन्दुर अभियुक्तगण द्वारा समान प्रकृति का या कोई अन्य अपराध कारित किये जाने पर इस न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह अभियुक्तगण को तलब कर उसे दण्डादेश के बिन्दू पर सुनकर उसके विरुद्ध यथोचित आदेश पारित करें और दण्डादेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें। अभियुक्तगण परिवीक्षा अधिकारी या न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर इस दौरान उनके सक्षम उपस्थित आते रहेंगे।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के संबंध में 04 अभियुक्तगण को 01-01 वर्ष के सदाचरण एवं परिवीक्षा बनाये रखने हेतु नियमानुसार अवमुक्त किया गया व 20000-20000 रु0 के व्यक्तिगत बन्धपत्र पर छोड़ा गया

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 18.12.2024 को *मा0 न्यायालय ए0एस0जे0 प्रथम स0क0न0***** द्वारा **थाना बखिरा** पर पंजीकृत एनसीआर नं0 125/2003 धारा 323,504,506 भा0द0वि0 के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्तगण नाम पता 1. सुमेर पुत्र प्रहलाद 2. साधू पुत्र बदलू, 03. लोकाई पुत्र प्रहलाद, 04. ताम्रध्वज पुत्र शिवलाल निवासीगण बेलहर खुर्द थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को 01-01 वर्ष की अवधि के लिए सदाचार कायम रखने हेतु निम्न शर्तो पर छोड़ा जाता है। प्रत्येक अभियुक्तगण को 20000-20000 रु0 का निजी बन्धपत्र समान धनराशि के दो प्रतिभू जिला परिवीक्षा अधिकारी संतकबीरनगर के समक्ष निर्णय की तिथि से 15 दिन के अन्दर निष्पादित करें। बन्धपत्र निष्पादित न करने अथवा बन्धपत्र निष्पादित किये जाने के 01 वर्ष के अन्दुर अभियुक्तगण द्वारा समान प्रकृति का या कोई अन्य अपराध कारित किये जाने पर इस न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह अभियुक्तगण को तलब कर उसे दण्डादेश के बिन्दू पर सुनकर उसके विरुद्ध यथोचित आदेश पारित करें और दण्डादेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें। अभियुक्तगण परिवीक्षा अधिकारी या न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर इस दौरान उनके सक्षम उपस्थित आते रहेंगे।